



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 21.09.2023

"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।"

#ऑपरेशन कन्विकशन के तहत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में की गई सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-148/2018, धारा-452/376AB/506आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट के अभियोग में आरोपी को सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र मिथलेश सिंह निवासी ग्राम रिठारी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त व सजा का विवरण:-

1. अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र मिथलेश सिंह निवासी ग्राम रिठारी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



Meticulous Investigation & Prosecution

HAMIRPUR POLICE



"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।"

#OperationConviction के तहत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में की गई सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-148/2018, धारा-452/376AB/506आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट के अभियोग में आरोपी को सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र मिथलेश सिंह निवासी ग्राम रिठारी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



रुद्र प्रताप सिंह
वि0लो0अभि0
(पोक्सो कोर्ट)



विवेचक
उ0नि0
कंबोद सिंह



पैरोकार का0
रजनीश
कुमार